उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/28889/2025-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/CN-2198 दिनांक 31-10-2025

1 प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

2 निदेशक (वितरण/वाणिज्य/वित्त/
का0प्रा0/आई0टी0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय:-माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र सं0-05/2025/804/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015 दिनांक 12-09-2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पूर्व निर्गत शासनादेशों दिनांक 03-04-2018, 21-01-2021, 07-04-2025 एवं 26-04-2025 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उन्हें उत्तर अवश्य दिये जाने तथा इसमें शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने के आदेश/निर्देश दिये गये है।

साथ ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक "जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर" रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने एवं प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं जिससे कि माननीय सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े।

अग्रेतर अवगत कराया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण द्वारा माननीय सदन में यह

विषय उठाया गया है कि विभागों द्वारा जनहित में भेजे गये उनके पत्रों का उत्तर उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है।

उपरोक्त के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उक्त पत्र दिनांक 12-09-2025 संलग्नों सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि पत्र के माध्यम से दिये गये आदेशों/निर्देशों का समस्त कार्यालयों में कड़ाई से तथा तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 जॉन मथाई)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

सं0-I/28889/2025- ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/CN-2198 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (संसदीय विभाग), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/ मुख्य अभियन्ता (जॉच समिति), गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
9. महानिदेशक (प्रशि0 एवं मा0सं0वि0), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
12. पुस्तकालयाध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।

(डा0 जॉन मथाई)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

6092
No. /Dir(PM&A)/PCL/2025
R.D. 13 / X / 25 at 06:41 Pm.
D.D. 14 / X / 25

(15)

MD, PCL/TCL/UNL

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

08.10.25

6410/CM/25
13/10/25

1273 सं०म०(ज०श०प्रशि० एवं क्रयी)/शिविर/पाकालि/2025

महत्वपूर्ण

संख्या-05/2025/804/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015

संख्या 1009 ज०स० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पा०का०लि०/2025
पत्रावली संख्या
क्रम संख्या
ई-अफिस डायरी संख्या 249654/2025/1000291

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 12 सितम्बर, 2025

5400/MDS/25
13/10/25

विषय- माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03-04-2018, 21-01-2021, 07-04-2025 एवं 26-04-2025 का ("shasanadesh.up.gov.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

Div(P&A)

Pl issue to all.

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक "जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर" रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे कि माननीय सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े।

13/10/25
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

3- पूर्व में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण द्वारा माननीय सदन में यह विषय उठाया गया है कि विभागों द्वारा जनहित में भेजे गये उनके पत्रों का उत्तर उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है।

AS-01
R/Pls.
13/X/25
अपर निजी सचिव,
निदे० (का०प्र० एवं प्रशा०),
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

DS(MP)/DS(Work)

2510

कृ0पृ0-2/-

SO(MP)
16/10/2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14/10/25

4- अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उन्हें उत्तर अवश्य दिया जाय तथा इसमें शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे०पी० सिंह-II

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 2/ 2018 / 400/ 90-सं0शि0प0का0/ 18-01(सं0शि0)/ 2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय: मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1105/ 90-सं-1-2012-70सं/ 1984, दिनांक 28-09-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के, विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्षों/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-1117/ 90-सं-2015-70सं/ 1984, दिनांक 15-10-2015 द्वारा मा0 सांसदों/ विधान-मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि मा0 सांसदों/ विधान-मण्डल सदस्यों के पत्रों को उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाये एवं समय से इसकी पावती भेजी जाये और कृत कार्यवाही से मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल सदस्यों को अवगत कराया जाये।

3- उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और प्राय: यह देखा जा रहा है कि जिला स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यगणों को नहीं दी जा रही है। अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को उपर्युक्त **"जन-प्रतिनिधि**

जारी कृपया पृ0-2-

shasanadesh.up.nic.in

पत्राचार रजिस्टर" में अंकित करते हुये उक्त पत्रों की पावती उक्तानुसार भेजते हुये उन पर प्राथमिकतापूर्वक कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

4- शासन स्तर से पूर्व में निर्गत उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में पुन: जारी किये जा रहे उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन व्यक्तिगत ध्यान देते हुये शीर्ष प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार "अधीनस्थ कार्यालयों" को आवश्यक अनुदेश भी अपने स्तर से प्रदान किये जायें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या-2/ 2018/400(1)/ 90-सं0शि0प0का0/ 18-01(सं0शि0)/ 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1/2021/87/90-सं0शि0प0का0/2021-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2021

विषय:- मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के उपरान्त क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत संसदीय कार्य अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1117/90-सं0-1-2015-70सं/1984, दिनांक-15 अक्टूबर, 2015 एवं संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-18 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये थे, कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उक्तानुसार एक "**जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर**" रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाय। समय से उसकी पावती भेजी जाये, निस्तारण की अन्तिम तिथि से भी सम्बन्धित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की सम्भावना हो उसके बारे में एक अन्तरिम उत्तर भेजकर पृथक से उन्हें अवगत करा दिया जाय, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी दर्ज की जाय।

3- शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के बाद भी मा0 सदस्यों द्वारा पुनः शासन के संज्ञान में लाया गया है, कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधिगण के पत्रों को गम्भीरता से न लेकर उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत उक्त शासनादेशों दिनांक दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 एवं 18 अक्टूबर, 2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

क्रमशः पृ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-1/2021/87(1)/90-सं0शि0प0का0/2021-01(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पूनम त्रिवेदी
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण

संख्या-03/2025/414/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।**
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक- 07 अप्रैल, 2025**

विषय- मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश दिनांक-03-04-2018 एवं 21-01-2021 का ("Shasanadesh.up.gov.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे कि मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पडे।

3- उक्त दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों/जनपदों के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधिगण के पत्रों को गम्भीरता से न लेकर उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा मा0 सदन एवं मा0 समितियों की बैठकों में मा0 सदस्यों द्वारा यह विषय उठाये जाने पर शासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर में अंकित करते हुए पत्रों की पावती संबंधित मा0 सदस्य को प्रेषित करते हुए प्राप्त प्रकरण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सदस्य को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>महत्वपूर्ण</u>

संख्या-04/2025/478/90-सं0शि0प0का0/2025-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक-26 अप्रैल, 2025

विषय- माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03-04-2018, 21-01-2021 एवं 07-04-2025 का ("shasanadesh.up.gov.in" पर उपलब्ध) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेशों एवं समय-समय पर निर्गत पत्रों के माध्यम से माननीय सांसदों एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक **"जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** रखने तथा उसमें पत्रों का विवरण दर्ज कर जनप्रतिनिधियों को पावती भेजे जाने तथा प्रकरण के निस्तारण की स्थिति से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिससे कि माननीय सदस्यों को उसी मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े।

3- उक्त दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण द्वारा माननीय सदन में यह विषय उठाया गया है कि विभागों द्वारा उनके पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता है तथा उस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in